अध्याय I
प्रस्तावना

1.1 इस प्रतिवेदन के बारे में

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक (सीएजी) का यह प्रतिवेदन सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र के विभागों की अनुपालन लेखापरीक्षा में उजागर हुए मामलों से संबंधित है। सांविधिक निगमों, मण्डलों एवं सरकारी कम्पनियों, आर्थिक क्षेत्र के विभागों, राज्य सरकार की राजस्व प्राप्तियों, राज्य सरकार के वित्त पर प्रेक्षणों एवं स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा में उजागर हुए प्रेक्षणों पर प्रतिवेदनों को भी पृथक रूप से प्रस्तुत किया जा रहा है।

अनुपालन लेखापरीक्षा, लेखापरीक्षित इकाईयों के व्ययों से संबंधित लेनदेनों की जाँच से संदर्भित है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि क्या भारत के संविधान, लागू कानूनों, नियमों, विनियमों एवं सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जारी विभिन्न आदेशों एवं निर्देशों के प्रावधानों की अनुपालना की जा रही है।

प्रतिवेदन का मुख्य उद्देश्य अनुपालन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणामों को राज्य विधानसभा के समक्ष लाना है। लेखापरीक्षा मानकों के लिए यह आवश्यक है कि लेनदेनों की प्रकृति, आकार एवं महत्व, रिपोर्टिंग के सारता स्तर के अनुसार होने चाहिये। लेखापरीक्षा के निष्कर्ष प्रत्याशा करते है कि ये कार्यपालक को सुधारात्मक उपाय लेने एवं नीति-निर्देश बनाने में समर्थता प्रदान करें, जो कि संगठन के वित्तीय प्रबन्धन में सुधार हेतु उसका मार्ग-दर्शन करेंगे, एवं इस प्रकार उसे अच्छे शासन में भागीदर बनायेंगे।

यह अध्याय, लेखापरीक्षा आयोजना एवं व्याप्तियों की व्याख्या के अतिरिक्त, चयनित योजनाओं के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण कमियाँ, लेनदेनों की लेखापरीक्षा के दौरान लिये गये महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा प्रेक्षणों एवं विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई के संकलन को प्रस्तुत करता है। अध्याय 2 में सरकारी विभागों की अनुपालन लेखापरीक्षा के प्रेक्षण शामिल हैं।

1.2 लेखापरीक्षित इकाईयों का खाका

राजस्थान सरकार के सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र के अन्तर्गत 37 विभाग एवं 72 स्वायत्त निकाय जो कि मुख्य शासन सचिव/प्रमुख शासन सचिवों/सचिवों द्वारा नियंत्रित एवं उनके अन्तर्गत आने वाले उपशासन सचिवों/आयुक्तों एवं अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा सहयोगित किये जाते है, जिनकी प्रधान महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा) राजस्थान, जयपुर द्वारा लेखापरीक्षा की जाती है।

राजस्थान सरकार द्वारा वर्ष 2010 11 से 2012 13 के दौरान किये गये व्ययों की तुलनात्मक स्थिति **तालिका**–1 में दी गयी है।

तालिका 1: व्ययों की तुलनात्मक स्थिति

(₹ करोड़ में)

	2010-11	2011-12	2012-13
राजस्व व्यय			
सामान्य सेवायें	16,737	18,709	20,496
सामाजिक सेवायें	17,895	21,928	25,293
आर्थिक सेवायें	10,220	12,744	17,408
सहायतार्थ अनुदान एवं अंशदान	21	273	265
योग	**44,873**	**53,654**	**63,462**
पूंजीगत एवं अन्य व्यय			
पूंजीगत परिव्यय	5,251	7,119	10,681
वितरित ऋण एवं अग्रिम	262	1,109	2,412
लोक ऋण को अदायगी	3,317	3,490	4,707
आकस्मिकता निधि	-	-	-
लोक लेखा वितरण	1,16,298	1,22,320	1,50,175
योग	**1,25,128**	**1,34,038**	**1,67,978**
कुल योग	**1,70,001**	**1,87,692**	**2,31,440**

स्त्रोतः राज्य वित्त पर सम्बन्धित वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

1.3 लेखापरीक्षा के लिए प्राधिकृति

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक (सीएजी) द्वारा लेखापरीक्षा की प्राधिकृति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 एवं 151 तथा सीएजी के (कर्त्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवाओं की शर्तें) अधिनियम, 1971 से ली गयी है। प्रधान महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा), राजस्थान, जयपुर, राजस्थान सरकार के सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र के विभागों एवं स्वायत्तशाषी निकायों के व्ययों की लेखापरीक्षा सीएजी (कर्त्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवाओं की शर्तें) अधिनियम की धारा 13[1], 14[2], 15[3], 17[4],

1. (i) राज्य की समेकित निधि से सभी व्ययों, (ii) आकस्मिकता निधि एवं लोक लेखाओं से संबंधित सभी लेनदेनों एवं (iii) सभी व्यापार, निर्माण, लाभ एवं हानि खातों, तुलन पत्र एवं अन्य सहायक लेखाओं की लेखापरीक्षा।
2. (i) राज्य की समेकित निधि में से अनुदान या ऋणों द्वारा पर्याप्त रूप से वित्त पोषित निकाय/प्राधिकरण की सभी प्राप्तियों एवं व्ययों तथा (ii) किसी निकाय या प्राधिकरण की सभी प्राप्तियों एवं व्ययों, जहाँ ऐसे निकाय या प्राधिकरण को राज्य की समेकित निधि से ऋण एवं अनुदान वित्तीय वर्ष में ₹ 1 करोड़ से कम नहीं हो, की लेखापरीक्षा।
3. भारत या राज्य की समेकित निधि में से विशिष्ट उद्देश्यों के लिए किसी प्राधिकरण या निकाय को दिये गये ऋण या अनुदान की लेखापरीक्षा, जिसके द्वारा कार्यविधि की संवीक्षा हेतु स्वीकृति देने वाला प्राधिकरण स्वयं को सन्तुष्ट करता है कि उन शर्तों की पूर्ति कर ली गयी है, जिनके अन्तर्गत ऐसे अनुदान या ऋण दिये गये थे।
4. भण्डार एवं स्टॉक के लेखाओं की लेखापरीक्षा।

19(2)[5], 19(3) एवं 20[6] के अन्तर्गत करते हैं। अनुपालन लेखापरीक्षा के लिए सिद्धान्त एवं विधियाँ, सीएजी द्वारा जारी मैन्युअलों में निर्दिष्ट की गयी है।

1.4 कार्यालय प्रधान महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा), राजस्थान, जयपुर का संगठनात्मक ढाँचा

सीएजी के निर्देशों के अन्तर्गत, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा), राजस्थान, सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र के विभागों एवं स्वायत्तशासी संस्थाओं की लेखापरीक्षा, चार समूहों द्वारा संचालित करता है। वर्ष 2012-13 के दौरान 36 लेखापरीक्षा दलों द्वारा राज्य सरकार के विभिन्न सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र के विभागों एवं स्वायत्तशासी निकायों (पंचायती राज संस्थानों एवं शहरी स्थानीय निकायों के अलावा) एवं बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना इत्यादि की चयनित इकाईयों की वित्तीय एवं अनुपालन लेखापरीक्षा संचालित की गयी।

1.5 लेखापरीक्षा की आयोजना एवं संचालन

लेखापरीक्षा प्रक्रिया, व्ययों, गतिविधियों की आलोच्यता/जटिलता, वित्तीय शक्तियों के सौपने का स्तर, समग्र आंतरिक नियंत्रणों का मूल्यांकन एवं भागीदारों की चिन्ताओं पर आधारित, विभिन्न सरकारी विभागों/संगठनों/स्वायत्तशासी निकायों एवं योजना/परियोजना इत्यादि के जोखिम प्रदर्शन के मूल्यांकन के साथ प्रारम्भ होती है। इस अभ्यास में गत वर्षों के लेखापरीक्षा निष्कर्ष भी ध्यान में रखे जाते है।

प्रत्येक इकाई की लेखापरीक्षा पूर्ण होने के उपरांत, लेखापरीक्षा निष्कर्षों का समावेश करते हुए इकाई के प्रमुख को निरीक्षण प्रतिवेदन जारी किये जाते हैं। इकाईयों से, लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्ति के एक माह के अन्दर जवाब प्रेषित करने हेतु, निवेदन किया जाता है। जब भी जवाब प्राप्त होता है, लेखापरीक्षा निष्कर्षों का या तो निपटारा कर लिया जाता है या अनुपालना के लिए अग्रेतर कार्यवाही की सलाह दी जाती है। इन निरीक्षण प्रतिवेदनों से उजागर मुख्य लेखापरीक्षा आक्षेपों को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित करने के लिए तैयार किया जाता है।

---

5. सम्बन्धित विधानों के प्रावधानों के अनुसार संसद द्वारा बनाये गये नियमों या उनके अन्तर्गत संस्थापित किये गये निगमों (कम्पनियों के अलावा) के लेखाओं की लेखापरीक्षा।
6. राज्यपाल के अनुरोध पर किसी निकाय या प्राधिकरण के लेखाओं की लेखापरीक्षा, उन शर्तों एवं निबंधनों पर जो कि सीएजी एवं राज्य सरकार के बीच तय की गयी हों।

वर्ष 2012-13 के दौरान, सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र के विभागों की 11,739 इकाईयों में से 931 में, 6,304 लेखापरीक्षा दल दिवसों को लेखापरीक्षा के लिए उपयोजित किया गया। लेखापरीक्षा आयोजना में उन इकाईयों/विभागों को आवृत्त किया गया जो कि मूल्यांकन के अनुसार महत्वपूर्ण जोखिम के प्रति असुरक्षित थी।

1.6 लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण निष्कर्ष

पिछले कुछ वर्षों में, लेखापरीक्षा ने निष्पादन लेखापरीक्षा के माध्यम से विभिन्न कार्यक्रमों/गतिविधियों के क्रियान्वयन में एवं साथ ही चयनित विभागों में आंतरिक नियंत्रण की गुणवत्ता पर (पंचायती राज संस्थानों एवं शहरी स्थानीय निकायों के अलावा) एवं बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना इत्यादि पर कई महत्वपूर्ण कमियों को प्रतिवेदित किया है, जिन्होंने कार्यक्रमों की सफलता एवं विभागों के कार्य को प्रभावित किया। इसी प्रकार, सरकारी विभागों/संगठनों की अनुपालन लेखापरीक्षा के दौरान उजागर हुई कमियों को भी प्रतिवेदित किया गया।

1.6.1 अनुपालन लेखापरीक्षा के दौरान महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा प्रेक्षण

आलोच्य क्षेत्रों में लेखापरीक्षा ने महत्वपूर्ण कमियाँ उजागर की जिन्होंने राज्य सरकार की प्रभावोत्पादकता को प्रभावित किया। अनुपालन लेखापरीक्षा के कुछ महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष (16 वृहद् अनुच्छेद/अनुच्छेद) अध्याय II में प्रतिवेदित किये गये हैं। प्रमुख आक्षेप निम्नलिखित श्रेणियों से सम्बन्धित है:

1.6.1.1 नियमों एवं विनियमों की अनुपालना नहीं किया जाना

अच्छे वित्तीय प्रशासन एवं वित्तीय नियंत्रण के लिए यह आवश्यक है कि व्यय वित्तीय नियमों, विनियमों एवं सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आदेशों के अनुसार हो। यह वित्तीय अनुशासन बनाये रखने में सहायता करता है तथा अनियमितताओं, दुर्विनियोजन एवं धोखाधड़ी को रोकता है। इस प्रतिवेदन में नियमों एवं विनियमों की अनुपालना नहीं करने के प्रकरण सम्मिलित हैं, जो निम्नानुसार हैं:

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल हैल्थ प्रोग्राम के लिए निर्धारित निधि ₹ 3.32 करोड़ का शहरी स्कूलों पर अनियमित व्यय किया गया।

(अनुच्छेद 2.1.1)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत ₹ 2.15 करोड़ की निधियों का अनधिकृत एवं अनियमित विपथन किया गया।

(अनुच्छेद 2.1.2)

नगरीय विकास एवं आवासन विभाग में विस्तारित वैधता अवधि में संविदा को अन्तिम रूप देने में राज्य सरकार की विफलता के परिणामस्वरूप कार्य का आवंटन ₹ 1.16 करोड़ की अतिरिक्त लागत पर किया गया।

(अनुच्छेद 2.1.3)

1.6.1.2 औचित्यता के विरूद्ध लेखापरीक्षा एवं पर्याप्त न्यायोचितता के बिना व्यय के मामले

लोक निधियों से व्यय की प्राधिकृति, सार्वजनिक व्यय को करने को औचित्यता एवं दक्षता के सिद्धान्तों द्वारा मार्ग दर्शित होनी चाहिये। प्राधिकारियों, जो कि व्यय करने के लिए प्राधिकृत हैं, से यह अपेक्षा की जाती है कि वे उसी सतर्कता के साथ व्यय करेंगे जैसा कि एक साधारण बुद्धि का व्यक्ति अपने स्वयं की धनराशि को व्यय करने में बरतता है। लेखापरीक्षा जाँच में अनौचित्यता एवं अतिरिक्त व्यय के ₹ 12.07 करोड़ के प्रकरण दर्शित हुए। लेखापरीक्षा निष्कर्ष निम्नानुसार हैं:

एडवांस लाइफ सपोर्ट उपकरणों के चार वर्ष से अधिक समय तक अनुपयोगी रहने से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा ₹ 1.47 करोड़ का निष्फल व्यय किया गया।

(अनुच्छेद 2.2.1)

पम्पिंग स्टेशनों की आवश्यकता का निर्धारण करने में जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग की विफलता एवं वाटर बाउण्ड मैकेडम सड़क के बजाय बिटूमिनस सड़क के निर्माण के परिणामस्वरूप ₹ 9.76 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

(अनुच्छेद 2.2.2)

विवाद रहित भूमि एवं कार्यपथ का आरेखण व खाका तथा समतल पत्रक उपलब्ध करवाये बिना कार्य आवंटन किये जाने के कारण जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग द्वारा ₹ 84.23 लाख का परिहार्य व्यय किया गया।

(अनुच्छेद 2.2.3)

1.6.1.3 सतत् एवं व्यापक अनियमितताऐं

एक अनियमितता यदि वर्ष-दर-वर्ष बाद भी जारी रहती है तो यह सतत् अनियमितता समझी जाती है। यदि यह सम्पूर्ण प्रणाली में विद्यमान रहती है तो यह व्यापक अनियमितता हो जाती है। पिछली लेखापरीक्षा में बताये जाने के बावजूद अनियमितताओं की पुनरावृत्ति होना, न केवल कार्यपालक के गंभीर नहीं होने का सूचक है, बल्कि प्रभावी अनुश्रवण के अभाव का भी सूचक है। इसकी परिणिती नियमों/विनियमों के पालन में जानबूझकर किये गये विचलनों को प्रोत्साहित करना है जो परिणामत: प्रशासकीय संरचना को कमजोर करती है। लेखापरीक्षा में सतत् एवं व्यापक अनियमितताओं का निम्नलिखित प्रकरण विदित हुआ:

कोषाधिकारियों द्वारा निर्धारित जाँच करने में असफल रहने के कारण पेंशन/पारिवारिक पेंशन राशि ₹ 0.92 करोड़ का अधिक/अनियमित भुगतान हुआ, जबकि ये तथ्य पूर्व के प्रतिवेदनों में भी उजागर किये गये थे।

(अनुच्छेद 2.3.1)

1.6.1.4 कार्यान्वयन, अनुश्रवण एवं शासन में विफलता

सरकार संरचनात्मक ढ़ाँचे तथा सार्वजनिक सेवाओं के उन्नयन के माध्यम से स्वास्थ्य, शिक्षा, विकास आदि के क्षेत्र में लोगों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए उत्तरदायी है। लेखापरीक्षा ने कुछ दृष्टांत सूचित किये है जिनमें सरकार द्वारा सामुदायिक लाभ हेतु सार्वजनिक संपत्तियों के सृजन के लिए निर्मोचित की गई निधियाँ अनिश्चयता, प्रशासकीय पर्यवेक्षण या विभिन्न स्तरों पर संगठित कार्यवाही की कमी के कारण अनुपयोजित/अवरोधित रही या निष्फल/अनुत्पादित सिद्ध हुई। लेखापरीक्षा नमूना जाँच में कार्यान्वयन, अनुश्रवण एवं शासन की विफलता के मामलों में ₹ 325.40 करोड़ की राशि शामिल है। लेखापरीक्षा निष्कर्ष निम्न प्रकार है:

अस्पतालों एवं अन्य स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं द्वारा निदान, उपचार, मनुष्य एवं पशुओं के प्रतिरक्षीकरण के दौरान जैव चिकित्सा अपशिष्ट (बीएमडब्ल्यू) उत्पन्न होता है एवं उसमें अप्रचलित दवाओं के अपशिष्ट, धारदार अपशिष्ट, सूक्ष्म जीव विज्ञान सम्बन्धी एवं जैव प्रौद्योगिकी अपशिष्ट, मानव अंगों के अपशिष्ट और पशु अपशिष्ट इत्यादि सम्मिलित रहते हैं। यह अपशिष्ट, यदि इसका समुचित उपचार नहीं किया गया हो, प्रबल संक्रामक और मानव स्वास्थ्य के लिये खतरनाक एवं पर्यावरण के लिये खतरनाक होता है, बीएमडब्ल्यू में उपस्थित जैविक कारक, भोजन एवं जल को प्रदूषित करते हैं और इसके कारण पाचन संक्रमित जैसे हैजा, टाइफाईड, पेचिस, संक्रामक हेपेटाईटिस इत्यादि होता है। जलाये जाने के दौरान बीएमडब्ल्यू, विषाक्त गैसें उत्सर्जित करते है, जिससे पर्यावरण को नुकसान पहुँचता है और आमतौर पर यह लाइलाज कैंसर का कारण होता है।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, पशुपालन एवं पर्यावरण विभागों में राजकीय स्वास्थ्य सुविधाओं द्वारा जैव चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबन्धन एवं हस्तन) नियमों की अनुपालना नही की गयी।

प्राधिकार का समय पर प्राप्त नहीं किया जाना, बीएमडब्ल्यू का पृथक्करण नहीं किया जाना, बीएमडब्ल्यू का अनुचित भण्डार एवं परिवहन, बीएमडब्ल्यू का अनुचित निस्तारण, सुरक्षा उपायों का नहीं अपनाया जाना, अभिलेखों का संधारण नहीं किया जाना, कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फेसिलिटी द्वारा अधिनियमों/नियमों के प्रावधानों एवं दिशा-निर्देशों को अनुपालना नहीं किया जाना, बीएमडब्ल्यू का अनुचित संग्रहण एवं परिवहन, अपशिष्ट उपचार फैसिलिटी पर बीएमडब्ल्यू का अनुचित जगहों पर भण्डारण, आवासीय क्षेत्रों के समीप जैव चिकित्सा अपशिष्ट के निस्तारण के लिए स्थान होना, राजस्थान राज्य

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा स्वास्थ्य सुविधाओं का निरीक्षण नहीं किया जाना आदि कुछ अनियमितताएँ लेखापरीक्षा के ध्यान में आयीं।

(अनुच्छेद 2.4.1)

सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर पर दबाव कम करने हेतु एवं बीपीएल परिवारों का उपचार करने हेतु मानस आरोग्य सदन अस्पताल, मानसरोवर, जयपुर का निर्माण अप्रैल 2009 में किया गया। राज्य सरकार द्वारा अस्पताल के संयुक्त उपक्रम में रूप में संचालन हेतु जनवरी 2010 में सैद्धान्तिक अनुमोदन किया गया। बोलीदाताओं की वित्तीय पात्रता योग्यताओं के अनुचित विश्लेषण के परिणामस्वरूप बोलियों के अन्तिमीकरण में विलम्ब हुआ। वित्तीय उच्च प्रस्तावों के निरस्तीकरण के परिणामस्वरूप राज्य सरकार को राजस्व की हानि हुई। हस्ताक्षरित एग्रीमेंट में अनुमानित सकल राजस्व (₹ 5,580.90 करोड़) एवं कन्सेशन फी (₹ 401.82 करोड़) को मनमाने तरीके से क्रमशः ₹ 4,029.38 करोड़ एवं ₹ 290.16 करोड़ तक कम किया गया। राजकीय राजस्व के संरक्षण के लिए तथा विफलता की दशा में दण्डीय कार्यवाही किये जाने का एग्रीमेन्ट में किसी क्लॉज का प्रावधान नहीं किया गया। एसएमएस अस्पताल पर दबाव कम करने एवं बीपीएल परिवारों को उपचार का मुख्य उद्देश्य प्राप्त नहीं किया गया।

(अनुच्छेद 2.4.2)

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नवम्बर 2008 में उत्कृष्टता के मानक के रूप में ब्लॉक स्तर पर 6,000 मॉडल स्कूलों की स्थापना हेतु एक केन्द्र प्रवर्तित योजना लागू की गई थी। योजना का उद्देश्य प्रत्येक शैक्षणिक ब्लॉक में केन्द्रीय विद्यालयों की तर्ज पर, ग्रामीण कुशाग्र विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना था।

स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा विभाग के अन्तर्गत राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, जयपुर ने 31 ब्लॉकों में मॉडल स्कूलों के लिए भूमि एक से तीन वर्ष तक के विलम्ब से अधिगृहीत की। अन्य अनियमितताएँ जैसे बिना उचित आयोजना के मॉडल स्कूलों के लिए भूमि आवंटन, सर्वे एवं संभाव्यता अध्ययन का नहीं किया जाना, मॉडल स्कूलों के निर्माण के लिए कार्यकारी अभिकरणों के चयन में विलम्ब, मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित मॉडल स्कूलों के निर्माण के लिए दिशा निर्देशों एवं मानकों की पालना नहीं किया जाना, उपयोगिता प्रमाण-पत्रों के प्रस्तुत नहीं किये जाने से अनुदान की कम निकासी/अनुपयोजन, प्रोराटा चार्ज के भुगतान पर परिहार्य व्यय, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद एवं इसकी समितियों द्वारा मॉडल स्कूलों के निर्माण कार्य का अनुश्रवण नहीं किया जाना आदि लेखापरीक्षा के अन्तर्गत दृष्टिगत हुई।

(अनुच्छेद 2.4.3)

उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना एक केन्द्र प्रवर्तित योजना है जो कि उत्तर मैट्रिक अथवा उच्च माध्यमिक स्तर में अध्ययन कर रहे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान कर उनको शिक्षा पूर्ण करने योग्य बनाने हेतु है।

कुल 49,196 छात्रों में से, जिनकी कि संवितरण की जाँच की गई, 6,731 छात्रों को अनियमित/अधिक भुगतान किया गया। इस तरह का भुगतान जयपुर एवं टोंक जिलों में सबसे अधिक (22 प्रतिशत) था। अनियमितताऐं जैसे कि छात्रवृत्ति, चैक के माध्यम से छात्रों के बैंक खातों में सीधे भुगतान के बजाय निजी महाविद्यालयों/संस्थाओं को भुगतान करना, कपटपूर्ण दावों का भुगतान, निजी संस्थाओं में अध्ययन कर रहे छात्रों को फीस का अधिक पुनर्भरण, गैर मान्यता प्राप्त संस्थाओं के छात्रों को छात्रवृत्ति का भुगतान, छात्रवृत्ति का अधिक/दोहरा भुगतान, आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा द्वारा अनुपालना के लिए कमजोर प्रयास आदि दृष्टिगत हुई।

(अनुच्छेद 2.4.4)

₹ 9.47 करोड़ व्यय किये जाने के बावजूद ट्रौमा केयर केन्द्रों का संचालित नहीं होना एवं शेष सहायता ₹ 21.76 करोड़ की मांग करने में चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा विभागों की विफलता से दुर्घटना पीडितों को इन केन्द्रों से मिलने वाले लाभों से वंचित रखा गया।

(अनुच्छेद 2.4.5)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा अवमानक गुणवत्ता की पाई गई औषधियों की ₹ 1.50 करोड़ की वसूली नहीं की गयी।

(अनुच्छेद 2.4.6)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में राजस्थान हैल्थ सिस्टम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत निर्मित ट्रौमा सेन्टर, बर्न-वार्ड, इंटेंसिव केयर यूनिट और पुनर्वास केन्द्रों के उपयोग नहीं होने के कारण ₹ 1.70 करोड़ का व्यय अनुत्पादी रहा।

(अनुच्छेद 2.4.7)

पूरक पोषाहार के अनधिकृत व अनियमित नष्टीकरण के कारण महिला एवं बाल विकास विभाग को ₹ 1.82 करोड़ की हानि हुई तथा लाभार्थियों को पोषाहार आगतों से वंचित रखा गया।

(अनुच्छेद 2.4.8)

लेखापरीक्षा, प्रबंधन की दक्षता, प्रभावकारिता एवं सुशासन सहायक होती है। लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर उचित सुधारात्मक कार्यवाही करने में सरकार की विफलता कमजोर शासन को इंगित करती है।

(अनुच्छेद 2.4.9)

1.7 समीक्षाओं/प्रारूप लेखापरीक्षा अनुच्छेदों पर विभागों का प्रत्युत्तर

वित्त विभाग ने भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में शामिल करने हेतु प्रस्तावित प्रारूप लेखापरीक्षा अनुच्छेदों पर तीन सप्ताह में अपने प्रत्युत्तर देने हेतु सभी विभागों को निर्देश जारी किये थे (अगस्त 1969)।

तदनुसार, प्रारूप अनुच्छेदों को संबंधित विभागों के प्रमुख शासन सचिवों/शासन सचिवों को, लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर उनका ध्यान आकर्षित करने एवं तीन सप्ताह के अन्दर प्रत्युत्तर देने हेतु निवेदन करते हुए अग्रेषित किया जाता है। यह उनके व्यक्तिगत ध्यान में लाया जाता है कि ऐसे अनुच्छेदों को सीएजी के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल करने की संभावना देखते हुये, जिन्हें राजस्थान विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है, यह वांछनीय होगा कि मामले पर उनकी टिप्पणी शामिल कर ली जाये। उन्हें यह भी सलाह दी जाती है कि वे लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के लिए प्रस्तावित प्रारूप अनुच्छेदों पर चर्चा करने के लिए प्रधान महालेखाकार के साथ बैठक आयोजित करें। तदनुसार, इस प्रतिवेदन में प्रस्तावित प्रारूप अनुच्छेदों को प्रमुख शासन सचिवों/शासन सचिवों को अग्रेषित किया गया।

अध्याय II में लिये गये 16 अनुच्छेदों में से चार के प्रत्युत्तर सम्बन्धित विभागों ने प्रेषित नहीं किये। 12 अनुच्छेदों के सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों की प्रतिक्रियाओं को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में समुचित रूप से सम्मिलित कर लिया गया है।

1.8 लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर अनुवर्ती कार्यवाही

राज्य सरकार के वित्त विभाग ने निश्चय किया (दिसम्बर 1996) कि सभी अनुच्छेदों/समीक्षाओं, जो कि लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल किये गये हैं, पर एक्शन टेकन नोट्स (एटीएन), प्रतिवेदन के विधानसभा में प्रस्तुत होने के तीन माह के अन्दर, लेखापरीक्षा द्वारा संवीक्षा कर, जन लेखा समिति को प्रस्तुत किया जाना चाहिये। भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में शामिल किये गये विभिन्न विभागों से संबंधित अनुच्छेदों/निष्पादन समीक्षाओं पर बकाया एटीएन की समीक्षा में पाया गया कि दिसम्बर 2013 को संबंधित विभागों से चार एटीएन[7] लम्बित थे।

7. लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राज्य वित्त) 2011 12 के अनुच्छेद 1.5.1, 3.2 एवं 3.5 तथा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र) 2011 12 का अनुच्छेद 2.1 ।